झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

म0म0स0– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1240 / झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम– 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "विधान मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "की दर से" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 55,000/– (पचपन हजार) मात्र"** को **"रु0 78,000/– (अठहत्तर हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "विधान मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "की दर से" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र"** को **"रु0 55,000/– (पचपन हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (iii) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष" के पश्चात् एवं "04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"15,00,000/– (पंद्रह लाख) रुपये"** को **"रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–3 में नया उप नियम–3 (iii) (a) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:–

"अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

v) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (iv) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को" के पश्चात् एवं "04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र"** को **"रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम–4 में **विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को शपथ–ग्रहण करने की तिथि से प्रभारी भत्ता के रूप में अनुमान्य रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर को रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा राज्य के बाहर पूर्व से अनुमान्य प्रभारी भत्ता रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र को रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ)** मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (i) में **विधान सभा अध्यक्ष को प्रतिमाह देय क्षेत्रीय भत्ता रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र को रु0 80,000/– (अस्सी हजार)** मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (ii) में **विधान सभा उपाध्यक्ष को प्रतिमाह देय क्षेत्रीय भत्ता रु0 30,000/– (तीस हजार)मात्र को रु0 65,000/– (पैंसठ हजार)** मात्र से प्रतिस्थापित किया जता है।

ix) नियमावली के नियम–6 उप नियम (क) में **विधान सभा अध्यक्ष को प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र को रु0 60,000/– (साठ हजार)** मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।

x) नियमावली के नियम–6 उप नियम (ख) में **विधान सभा उपाध्यक्ष को प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र को रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली के नियम–6 में एक नया उप नियम–6 (ग) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है–

"लैंडलाईन, मोबाईल, इण्टरनेट तथा फैक्स की सुविधा हेतु राशि रु0 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) मात्र प्रतिवर्ष देय होगा, जिसमें में रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह वेतन में देय होगा।"

xii) नियमावली के नियम–7 के उप नियम (2) में अंकित शब्द समूह "अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1240 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–05/वे०म० संशोधन–128/2017________/ रांची, दिनांक   , 2017 ई०।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2/9/2017

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0स0का0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(शाखा सचिका) 934 /दिनांक 19.5.2015

झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम–2001 (अधिनियम –1, 2001) झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 11, 2006), झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम 2011 (झारखण्ड अधिनियम 14, 2011) की नियमावली –7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :– यथा–

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

I. यह नियमावली "झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015" कहलायेगी।

II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

III. यह नियमावली 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझा जायेगा।

IV. इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं हो,

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001।

(ख) अध्यक्ष से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष।

(ग) उपाध्यक्ष से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के उपाध्यक्ष।

(घ) सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन–

i. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह रु0 55,000/– (पचपन हजार) मात्र की दर से वेतन का भुगतान किया जायेगा,

ii. झारखण्ड विधान मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा,

iii. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. मोटर कार खरीदने के लिए अध्यक्ष को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना–

I. राज्य सरकार राज्य विधानसभा के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए समय–समय पर मोटरकारों की खरीद और उपबंध ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें,

II. नियमावली में निर्दिष्ट राज्य विधान मंडल का कोई पदाधिकारी ऐसी रियायती दर पर और अन्य शर्तों पर प्रभार का भुगतान करके स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे।

III. **मोटरकार अग्रिम**–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को 15,00,000/–(पंद्रह लाख) रुपये 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अग्रिम अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "स्टाफकार" से अभिप्रेत है सरकारी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा अनुरक्षित कोई मोटरगाड़ी।

IV. आवास ऋण– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।

V. हवाई यात्रा एवं जल यात्रा में माननीय अध्यक्ष के साथ एक सहयात्री ले जाने की सुविधा अनुमान्य होगी।

4. राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों को प्रभारी भत्ता –

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रभारी भत्ता के रूप में रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अंदर एवं रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर अनुमान्य होगा।

5. क्षेत्रीय भत्ता–

I. अध्यक्ष को 40,000/–रूपये प्रतिमाह तथा

II. उपाध्यक्ष को–30,000/–रूपये प्रतिमाह।

6. सत्कार भत्ता –

इस नियमावली में यथा परिभाषित विधान सभा का कोई पदाधिकारी निम्न प्रकार से सत्कार भत्ता पाने का हकदार होगा :

(क) अध्यक्ष–रु0 35,000/–(पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह।

(ख) उपाध्यक्ष–रु0 30,000/–(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह।

7. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएं –

1. नियमावली में निर्देशित राज्य विधान मंडल के पदाधिकारी और उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास–सुविधा के संबंध में ऐसी सुविधाओं और रियायतों के हकदार होंगे।

2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

8. अध्यक्ष का आवास –

i. झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष बिना किराया के अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक एक महीना बाद तक रांची में तथा रांची के अलावा अन्य ऐसे स्थान में भी, जहाँ विधान मंडल का सत्र होता हो, सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।

ii. ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष पर व्यक्तिगत रुप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

iii. इस नियमावली के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित और अनुरक्षित करने का खर्च उस पैमाने पर और उन आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करें।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

9. उपाध्यक्ष का निवास –

i. झारखण्ड विधान मंडल का उपाध्यक्ष किराया दिए बिना निम्नलिखित के उपयोग करने के हकदार होंगे :

(क) राँची में अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक बाद पन्द्रह दिनों की अवधि तक एक सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।

(ख) किसी अन्य स्थान पर जहाँ झारखण्ड राज्य के विधान मंडल का सत्र आयोजित हो, उसके दौरान, और सत्र के पूर्व एक सप्ताह और बाद में एक सप्ताह से अनाधिक अवधि के लिए एक सुसज्जित निवास अथवा ऐसे निवास के बदले प्रतिमाह एक सौ रुपये की दर से आवास भत्ता देय होंगे।

ii. इस नियमावली के अधीन उपबंधित किसी निवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान मंडल के उपाध्यक्ष पर व्यक्तिगत रुप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

iii. इस नियमावली के अधीन उपबंधित निवास की साज–सज्जा और अनुरक्षण पर ऐसे पैमाने और ऐसी वित्तीय सीमाओं के अधीन खर्च किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें।

स्पष्टीकरण: इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

10. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या (interpret) कर एवं समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

11. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

12. **व्याख्या एवं संशोधन**– इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0मं0स0–06/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 934/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0मं0स0–06/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 934/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0मं0स0–06/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 934/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।